RNI No. MAHBIL/2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ४, अंक २१] गुरुवार, जुलै १९, २०१८/आषाढ २८, शके १९४० [पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी).

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक १९ जुलाई, २०१८ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. LIX OF 2018.

A BILL

FURTHER TO AMEND THE MUMBAI MUNICIPAL CORPORATION ACT.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ५९ सन् २०१८।

मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

सन् १८८८ का ३।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; अत:, भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

१. यह अधिनियम, मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१८ कहलाए । संक्षिप्त नाम।

सन् १८८८ का ३ में धारा १४४च की निविष्टि।

२. मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा १४९ङ के पश्चात्, निम्न धारा, निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :- सन् १८८८ का ३।

स्थावर संपत्ति के कतिपय अंतरण पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क ।

"**१४९च.** (१) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अधीन उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क, स्थावर संपतिके क्रमशः विक्रय, दान और भोगबंधक के लिखत पर एक या अधिक अत्यावश्यक नागरी परिवहन परियोजनाएँ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में " अधिसूचित परियोजना वाले शहर " कहा गया है) और राज्य सरकार द्वारा, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक पर या के पश्चात्, निष्पादित किये गये शहर में स्थित स्थावर संपत्ति के संबंधित ऐसे किसी लिखत के मामले में इस प्रकार स्थित संपत्ति के मूल्य पर विक्रय या दान के लिखत के मामले में और भोगधिकारी बंधक के लिखत के मामले में, लिखत में उपवर्णित अनुसार लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम पर एक प्रतिशत के दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जायेगा और उक्त अधिनियम के अधीन तद्नुसार, संग्रहीत की जायेगी । सन् १९५८ का ६०।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा २८ अधिसूचित परियोजनाओं वाले शहरों में स्थित संपत्ति ; और अन्य किसी क्षेत्र में स्थित संपत्ति, के संबंध में अलग से उपवर्णित करने के लिये, उसमें निर्दिष्टित विवरण विनिर्दिष्ट रूप से आवश्यक है, के रूप में पढ़ी जायेगी या प्रवर्तित होगी । सन् १९५८ का ६०।

(३) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष, इस निमित्त बनाई गयी विधि द्वारा किये गये विनियोग के पश्चात्, निगम या अभिकरण, जिसने अधिसूचित परियोजना का जिम्मा लिया है, को शहर अधिसूचित परियोजनावाले में स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहीत अधिभार के कारण वसूल की गई अतिरिक्त रकम के लगभग समान सहायता अनुदान का भुगतान करेगी और ऐसा सहायता अनुदान, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रित्या में ऐसी अधिसूचित परियोजनाओं पर उपयोग में लाया जायेगा ।

(४) आवश्यक धन की राशि उप-धारा (३) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा पूर्ति करके राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित होगी ।

(५) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए नियम बनाएगी ;

(६) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, पूर्व प्रकाशित शर्त के अध्यधीन होंगे ।

(७) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए चाहे एक सत्र या बाद के दो या अधिक सत्रों को मिलाकर रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र या सत्रों के अवसान से पूर्व दोनों सदन नियम में परिवर्तन करने के लिए राजी होते हैं, या दोनो सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं, कि नियम नही बनाया जाए और ऐसे विनिश्चय को **राजपत्र** में अधिसूचित करते है, तो नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए " अधिसूचित परियोजना " पद का तात्पर्य, बड़ी मात्रा में द्रुतगति परिवहन प्रणाली जैसे कि मेट्रो रेल, मोनो रेल, बस द्रुतगति परिवहन प्रणाली से संबंधित अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नागरी परिवहन परियोजना से है और उसके अंतर्गत पथकर मुक्त मार्ग, सी-लिंक आदि से संबंधित जो राज्य सरकार ने, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, या तो स्वयंद्वारा या योजना प्राधिकरण, नए शहर विकास प्राधिकरण और अन्य कानूनी प्राधिकरण के ज़रिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कंपनी अधिनियम, २०१३ के उपबंधों के अधीन निगमित सरकारी कंपनी या तत्समय प्रवृत्त अधीन कंपनीयों से संबंधित किसी अन्य विधि द्वारा नियंत्रित ऐसी परियोजना हाथ में लेने उसका आशय घोषित करते है ।"। सन् २०१३ का १८।

उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य।

निगम या अभिकरण, जिसने अधिक अत्यावश्यक नागरी परिवहन योजनाओं का जिम्मा लिया है, इस प्रयोजन के लिए, उसके निपटान के लिए पर्याप्त निधि है, की सुनिश्चिति करने की दृष्टि से, राज्य सरकार ने, बडी मात्रा में द्रुतगति परिवहन प्रणाली जैसे कि, मेट्रो रेल, मोनो रेल, बस द्रुतगति परिवहन प्रणाली, और उसके अंतर्गत पथकर मुक्त मार्ग, सी-लिंक आदि, के कार्यान्वयन की आवश्यकता को पहचाना हैं ; इसलिए, **बृहन्मुंबई** नगर निगम के क्षेत्र में, जहाँ ऐसी बड़ी मात्रा में आवश्यक नागरी परिवहन परियोजनाओं का जिम्मा उठाया हैं, कि स्थावर संपत्ति के क्रमशः विक्रय, दान और भोगबंधक के लिखत पर उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क के ज़रिए अधिभार उदग्रहीत करना इष्टकर समझा गया हैं ।

२. इसलिए, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) की धारा १४९ख की तर्ज पर, नयी धारा १४४च के निगमन द्वारा, यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है ।

नागपुर, **देवेंद्र फडणवीस,**

दिनांकित १७ जुलाई २०१८। मुख्यमंत्री।

(एचबी-१७४९-२).

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त हैं, अर्थात् :—

खण्ड २.—इस खण्ड का आशय, मुंबई नगर निगम अधिनियम (सन् १८८८ का ३) में नई धारा १४४च निविष्ट करना हैं,—

(क) जिसमें, उसकी उप-धारा (१) में, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, दिनांक, जिस पर या के पश्चात्, बृहन्मुंबई, जिसमें, अत्याधिक महत्वपूर्ण नागरी परिवहन परियोजनाएँ कार्यान्वित हुई हैं, में स्थित स्थावर संपत्ति के क्रय, दान और भोगबंधक पर महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) के अधीन उदग्रहणीय स्टाम्प शुल्क में अधिकतर प्रभार प्रभारित किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई हैं ;

(ख) उसकी उप-धारा (५) में, राज्य सरकार को, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, उक्त धारा १४४च के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई हैं ।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरुप के है।

वित्तीय ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक का खण्ड २, मुंबई नगर निगम अधिनियम की नवीन धारा १४४च निविष्ट करना हैं। यह उपबंध है कि, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष सम्यक् विनियोग के पश्चात् जिसमें स्थावर संम्पति की एक या अधिक अत्यावश्यक नगरीय परिवहन परियोजनाएँ उपक्रमित है जो विक्रय दान और भोगबंधक के लिये लिखत के निष्पादन के संबंध में उद्ग्रहीत और संग्रहीत प्रभार के लगभग समान रकम के सहायता अनुदान का शहर के निगम को भुगतान करेगी । यह अधिकार उपबंध है कि, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक रकम राज्य के समेकित निधि से प्रभारित की जाऐगी ।

सहायत अनुदान के रुप में भुगतान की गयी रकम संग्रहीत प्रभार के उद्ग्रहण पर निर्भर होगी । सहायता अनुदान की ऐसी रकम इस दशा में सुनिश्चित नहीं की जाएगी ।

(यथार्थ अनुवाद),

हर्षवर्धन जाधव,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य ।

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा

(महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, मुंबई नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१८ ई. पर पुर:स्थापित करने की अनुशंसा करते है।

विधान भवन,
नागपुर,
दिनांकित १९ जुलाई, २०१८ ।

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY I/c DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI-400 004, EDITOR : SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD.